



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082024-256810
CG-DL-E-31082024-256810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3378]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/भाद्र 8, 1946

No. 3378]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/BHADRA 8, 1946

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2024

का.आ. 3708(अ).—जबकि मेसर्स ए एम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-74, निज़ामुद्दीन पूर्व, हुमायूँ मकबरा, नई दिल्ली 110013, भारत में स्थित है, ने “कर्नूल, आंध्र प्रदेश में मेसर्स ए एम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एएमजीईपीएल) को अपने 989 मेगावाट हाइब्रिड (सौर उर्जा - 675 मेगावाट और पवन उर्जा - 314 मेगावाट) पावर प्रोजेक्ट के लिए मेसर्स एएमजीईपीएल को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली में शामिल समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली। “ के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA--25-17/38/2023-PG दिनांकित 06.11.2023. के द्वारा “कर्नूल, आंध्र प्रदेश में मेसर्स ए एम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एएमजीईपीएल) को अपने 989 मेगावाट हाइब्रिड (सौर उर्जा - 675 मेगावाट और पवन उर्जा - 314 मेगावाट) पावर प्रोजेक्ट के लिए मेसर्स एएमजीईपीएल को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली में शामिल समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली। “ के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स ए एम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द हंस इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 24.03.2024, डेली हिंदी मिलाप (हिंदी में) दिनांक 24.03.2024, वार्था (तेलुगु में) दिनांक 24.03.2024, प्रजाशक्ति (तेलुगु में) दिनांक 24.03.2024, विशालांध्र (तेलुगु में) दिनांक 24.03.2024, और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक

06.04.2024 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स ए एम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 23.07.2024 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "कर्नूल, आंध्र प्रदेश में मेसर्स ए एम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एएमजीईपीएल) को अपने 989 मेगावाट हाइब्रिड (सौर उर्जा - 675 मेगावाट और पवन उर्जा - 314 मेगावाट) पावर प्रोजेक्ट के लिए मेसर्स एएमजीईपीएल को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली में शामिल समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली I" के तहत ट्रांसमिशन लाइन विद्यमान के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. मेसर्स ग्रीनको ए पी 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ए एम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का कॉमन जेनरेटिंग पूलिंग स्टेशन (कलवा गांव के पास जनरेशन स्विचयार्ड, ओर्वाकल मंडल, कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश) - कर्नूल नया 765/400 केवी आईएसटीएस सब-स्टेशन 400 केवी एस/सी लाइन (रूट की लंबाई लगभग 12 किमी है)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आंध्र प्रदेश के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

क्र.सं	गाँव का नाम	तहसील	ज़िला
1	कालवा, हुसैनपुरम, तिप्पयापल्ले, ओर्वाकल	ओर्वाकल	कर्नूल

2) 400/33 केवी सोलर पीएसएस (गांव आलमुर, पाण्यम मंडल, नंद्याल जिला, आंध्र प्रदेश) - मेसर्स ग्रीनको ए पी 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ए एम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का कॉमन जेनरेटिंग पूलिंग स्टेशन 400 केवी एस/सी लाइन (मार्ग की लंबाई लगभग 25 किमी है)।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आंध्र प्रदेश के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

क्र.सं	गाँव का नाम	तहसील	ज़िला
1	कांडिकायापल्ली, सीमेंटनगर	पाण्यम	नंद्याल
2	बुगगानीपल्ली, चिनुमेंडलाकोंडा, सुगाली तांडा, गोरुमानुकोंडा	वेटतमचेर्ला	नंद्याल
3	वेंकटापुरम, कोमारवोलु, चिन्नचेट्टीपल्ली, सोमयाजुलापल्ली, गुडेमबाई तांडा, कालवा, हुसैनपुरम	ओर्वाकल	कर्नूल

3) 400/33 केवी विंड पीएसएस (गांव कृष्णापुरम, कोडुमुर मंडल, कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश) - मेसर्स ग्रीनको ए पी 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ए एम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का कॉमन जेनरेटिंग पूलिंग स्टेशन 400kV एस/सी लाइन (मार्ग की लंबाई लगभग 50.5 किमी है)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आंध्र प्रदेश के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

क्र.सं	गाँव का नाम	तहसील	ज़िला
1	कृष्णापुरम, मुदुमुलागुर्ती, गोरटला, रामापुरम, कोंडापुरम, लड्डुगिरी	कोडुमुर	कर्नूल
2	इरवाडू, मन्नेकुंटा, एर्रागुडी, तल्लागोकुलापाडु	कृष्णागिरि	कर्नूल
3	कोंगनापाडु, उल्लिंडाकोंडा, एरकिदुवा, लंबाडी तांडा	कल्लूर	कर्नूल
4	मल्लेपल्ली, पुलागुम्मी, कलुगोटला, अल्लुगुडु	वेल्लुथी	कर्नूल
5	उय्यलवाडा, उप्पलापडु, पलाकोलानु, हुसैनपुरम, कावला	ओर्वाकल	कर्नूल

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स ए एम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- vi. मेसर्स ए एम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइन का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/33/2024-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 29th August, 2024

S.O. 3708(E).—Whereas M/s AM Green Energy Private Limited having its registered address at A-74, Nizamuddin East, Humayu Tomb, New Delhi-110013, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission lines under “Transmission system for providing connectivity to M/s AM Green Energy Private Limited (AMGEPL) for installation of dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s AMGEPL for its 989 MW Hybrid (Solar- 675 MW & Wind- 314 MW) Power Project in Kurnool, Andhra Pradesh”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. 25-17/38/2023-PG dated 06.11.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under “Transmission system for providing connectivity to M/s AM Green Energy Private Limited (AMGEPL) for installation of dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s AMGEPL for its 989 MW Hybrid (Solar- 675 MW & Wind- 314 MW) Power Project in Kurnool, Andhra Pradesh”.

M/s AM Green Energy Private Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers The Hans India (in English) dated 24.03.2024, Daily Hindi Milap (in Hindi) dated 24.03.2024, Vartha (in Telugu) dated 24.03.2024, Prajasakti (in Telugu) dated 24.03.2024, Visala Andhra (in Telugu) dated 24.03.2024 and in Weekly Gazette of India dated 06.04.2024 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s AM Green Energy Private Limited has submitted an affidavit dated 23.07.2024 declaring that no observation/representation was received within 2 months from the date of Publication in the official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under “Transmission system for providing connectivity to M/s AM Green Energy Private Limited (AMGEPL) for installation of dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s AMGEPL for its 989 MW Hybrid (Solar- 675 MW & Wind-

314 MW) Power Project in Kurnool, Andhra Pradesh”. The following overhead transmission lines is covered under this scheme:

1. Common Generating Pooling Station of M/s Greenko AP01 IREP Pvt Ltd and M/s AM Green Energy Pvt. Ltd.(Generation Switchyard near Kalva Village, Orvakal mandal, Kurnool District, Andhra Pradesh) - Kurnool New 765/400kV ISTS Sub-station 400kV S/c Line (Route length is approximately 12km).

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Andhra Pradesh:

Sr. No.	Name of Villages/Towns/Cities	Tehsil	District
1.	Kalava, Hussainpuram, Tippiyapalle, Orvakal	Orvakal	Kurnool

2) 400/33kV Solar PSS(Alamur Village, Panyam mandal, Nandyal district, Andhra Pradesh)- Common Generating Pooling Station of M/s Greenko AP01 IREP Pvt Ltd and M/s AM Green Energy Pvt. Ltd. 400kV S/c line (Route length is approximately 25km).

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Andhra Pradesh

Sr. No.	Name of Villages/Towns/Cities	Tehsil	District
1	Kandikayapalli, Cementnagar	Panyam	Nandyal
2	Bugganipalli, Chinnumendlakonda, Sugali Tanda, Gorumanukonda,	Betamcherla	Nandyal
3	Venkatapuram, Komaravolu, Chinnamchettipalli, Somayajulapalli, Gudembai Tanda, Kalava, Hussainpuram	Orvakal	Kurnool

3) 400/33kV Wind PSS (Krishnapuram Village, Kodumur Mandal, Kurnool District, Andhra Pradesh)- Common Generating Pooling Station of M/s Greenko AP01 IREP Pvt Ltd and M/s AM Green Energy Pvt. Ltd. 400kV S/c line (Route length is approximately 50.5km)

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Andhra Pradesh

Sr. No.	Name of Villages/Towns/Cities	Tehsil	District
1.	Krishnapuram, Mudumulgurti, Gorantla, Ramapuram, Kondapuram, Laddagiri,	Kodumur	Kurnool
2.	Irrabadu, Mannekunta, Erragudi, Tallagokulapadu	Krishnagiri	Kurnool
3.	Kongannapadu, Ulindakonda, Errakattuva, Lambadi Tanda	Kallur	Kurnool
4.	Mallepalli, Pulagummi, Kalugotla, Allugundu	Veldurthi	Kurnool
5.	Uyyalavada, Uppalapadu, Palakolanu, Hussainpuram, Kalava	Oravakal	Kurnool

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s AM Green Energy Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s AM Green Energy Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/33/2024-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)